आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित फोटोग्राफी प्रतियोगिता की शर्तें

म.प्र. शासन संस्कृति विभाग के संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय, म.प्र. भोपाल द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मध्यप्रदेश के ऐतिहासिक स्मारकों पर आधारित फोटोग्राफ़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था।

फोटोग्राफी के निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुरूप प्रतिभागियों से प्रविष्ठियां प्राप्त न होने के कारण इस प्रतियोगिता हेतु पुनः छायाचित्र आमंत्रित किये जाते हैं। मध्यप्रदेश के किसी भी ऐतिहासिक स्मारकों का स्वंय द्वारा छायांकित नवीनतम छायचित्र,जिसकी अवधि (मार्च, 2020 से दिनांक 25 फरवरी 2022) के मध्य छायांकित किया गया हो, भेजे जा सकते हैं। मध्यप्रदेश के स्मारकों पर आधारित इस फोटोग्राफी प्रतियोगिता में प्राप्त छायाचित्रों की हार्डकॉपी 16''X 20'' (इंच) में से जूरी के सदस्यों द्वारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सांतवना पुरूस्कार हेतु छायाचित्रों का चयन किया जायगा। चयनित छायाचित्रों में प्रथम पुरूस्कार राशि रू. 1,00,000/– (राशि रू. एक लाख) द्वितीय पुरूस्कार राशि रू. 50,,000/– (राशि रू. पचास हजार) तृतीय पुरूस्कार राशि रू. 25,000/– (राशि रू. पच्चीस हजार) एवं सात्वना पुरूस्कार (3) राशि रू. 10,000/– (राशि रू. दस हजार) प्रदान किये जायगें।

इच्छुक प्रतिभागी संचालनालय, पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल में कार्यालयीन दिवस एवं समय में दिनांक 25.02.2022 सांयकाल 05 बजे तक श्री नगेन्द्र वर्मा, वरिष्ठ छाया चित्रकार के पास हार्ड कॉपी 16''X 20'' (इंच) में जमा करा सकते हैं, जिसकी शर्ते निम्नानुसार हैं।

1. प्रतियोगिता में सम्मिलित किया जाने वाला छायाचित्र प्रतिभागी द्वारा स्वंय के द्वारा छायांकित होना चाहिये, ततसंबधी प्रमाण पत्र प्रतिभागी द्वारा प्रस्तुत करना होगा।
2. छायाचित्र में किसी भी प्रकार की ऐडिटिंग Photoshop वाला छायाचित्र स्वीकार नहीं होगा।
3. छायाचित्र की हार्डकापी दिनांक 25.02.2022 सांय 5.00 बजे तक ही संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल में स्वीकार किये जायेगें।
4. छायाचित्र DSLR (20 या अधिक मेगापिक्सल/300 डी.पी.आई. प्रापर्टी) कैमरे से छायांकित होना आवश्यक हैं।
5. छायाचित्र नवीनतम अर्थात दिनांक 20 मार्च, 2020 से दिनांक 25 फरवरी, 2022 तक की अवधि में छायांकित हो। हार्डकापी के साथ प्रतिभागी का नाम, पता एवं मोबाईल नम्बर, मेल आई–डी कैमरे का नाम मॉडल नम्बर छायांकन का दिनांक एवं समय आदि का उल्लेख अलग से किया जाना आवश्यक है।
6. विभाग को प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् छायाचित्रों का स्वामित्व संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल का होगा।
7. प्रतियोगिता में प्रस्तुत श्रेष्ठ छायाचित्रों की एक प्रदर्शनी विभाग द्वारा लगाई जायेगी।
8. प्रतिभागी अधिकतम पांच छायाचित्र (पृथक–पृथक स्मारक) प्रस्तुत करना होगें।
9. चयनित छायाचित्रों की साफ्टकॉपी जे.पी.ई.जी. फार्मेट में मांगने पर, बिना ऐडिटिंग एवं फोटोशाप के विभाग में प्रस्तुत करना होगी।
10. मोबाईल से लिया गया छायाचित्र मान्य नहीं होगा।
11. जूरी का निर्णय सर्वमान्य होगा एवं प्रतियोगिता संबंधी सर्वाधिकार आयुक्त, पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल के पास सुरक्षित हैं।
12. संचालनालय या पुरातत्व का कोई भी अधिकारी/कर्मचारी व उसके रिश्तेदार इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकेगें।
13. छायाचित्रों में किसी प्रकार का पहचान चिन्ह, नाम आदि अंकित न किया जाये।

आयुक्त
पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय
४. भोपाल

Scanned by CamScanner